जिला परिषद् कार्यालय, मुजफ्फरपुर

–:आदेश फलकः–

सनदी लेखाकार द्वारा अंकेक्षण के क्रम में यह मामला प्रकाश में आया कि कपटपूर्ण ढंग से राशि की निकासी सरकारी खाते से की गयी है एवं बैंक खाता बही के समाशोधन का मिलान के क्रम में पाया गया कि श्री उपेन्द्र मिश्र, निलंबित लेखापाल–सह–प्रभारी प्रधान सहायक–सह–खजांची, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा 12वीं वित्त आयोग के सरकारी निधि को कपटपूर्ण ढंग से अपने निजी खाते में हस्तांतरित कराने एवं ऐसे चेक की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में नहीं करने का प्रमाण प्रकाश में आया है। तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के द्वारा कार्यालय पत्रांक–328 दिनांक–26.11.2014 से अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया। गठित सात सदस्यीय समिति क्रमशः जिला अभियंता, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर, जिला लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, वरीय लेखा पदाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, मुजफ्फरपुर, श्री गणेश ठाकुर, सहायक, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर, श्री अनिल कुमार, सहायक, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर एवं श्री आशीष ठाकुर, लेखापाल, डी0आर0डी0ए0, मुजफ्फरपुर को सदस्य के रूप में जांच करने हेतु निदेशित किया गया है। उक्त जांच टीम के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन निम्नानुसार "क्रमशः बैंक ऑफ बड़ौदा, मुजफ्फरपुर में संधारित खाता संख्या–00050100008931 एवं पंजाब नेशनल बैंक, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर में संधारित खाता संख्या–61690001000013113 में कपटपूर्ण ढ़ंग से मो0–6702568.00 रू0 अपने निजी खाते में अंतरण/जमा किया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0	बैंक का नाम	चेक सं0/ अंतरण	दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
01	पंजाब नेशनल बैंक, जिला परिषद् भवन, मुजफ्फरपुर खाता सं0 61690001000 13113	718426	20.04.2007	176375.00	
02		747148	08.05.2007	176375.00	
03		615075	07.12.2007	176296.00	
04		615125	07.12.2007	176296.00	
05		615104	07.12.2007	176296.00	
06		615308	07.12.2007	176296.00	
07		123377	10.12.2008	176542.00	
08		123382	10.12.2008	176542.00	
09		123389	10.12.2008	176542.00	
10		123394	10.12.2008	176542.00	
11		548819	04.03.2009	176542.00	सरकारी खाता सं0–000501 00008804 जो बैंक ऑफ बड़ौदा में संधारित है, से संबंधित चेक है।
12		548768	27.03.2009	176542.00	
13		123076	16.06.2009	176542.00	
14		123084	16.06.2009	176542.00	
15		123095	16.06.2009	176542.00	
16		123100	09.07.2009	176542.00	
17		123088	09.07.2009	176542.00	
18		123103	09.07.2009	176542.00	
19		549938	12.08.2009	176542.00	सरकारी खाता सं0–00050100008804 जो बैंक ऑफ बड़ौदा में संधारित है, से संबंधित चेक है।
20		549862	12.08.2009	176542.00	
21		553564	12.10.2009	176542.00	
22		553613	12.10.2009	176542.00	
23		553515	12.10.2009	176542.00	
24		549544	12.10.2009	176542.00	
25		553533	12.10 2009	176542.00	
26		553711	12.10.2009	176542.00	
27		549527	12.10 2009	176542.00	
28		553634	12 10.2009	176542.00	
29		812330	18.02.2010	878000.00	

क्र0	बैंक का नाम	चेक सं0/ अंतरण	दिनांक	राशि	अभ्युक्ति
01	बैंक ऑफ बड़ौदा मुजफ्फरपुर में संधारित खाता सं0– 00050100008931	अंतरण	20.04.2009	176542.00	सरकारी खाता सं0–00050100008804 जो बैंक ऑफ बड़ौदा में संधारित है, से संबंधित चेक है।
02		अंतरण	11.06.2009	176542.00	
03		अंतरण	25.07.2009	176542.00	
04		549812	31.07.2009	176542.00	
05		अंतरण	24.08.2009	176542.00	
		कुल राशि:–		6702568.00	

साथ ही जिला परिषद् के संधारित क्रमशः–बैंक ऑफ बड़ौदा, मुजफ्फरपुर के खाता सं0–00050100008804 (दिनांक–10.03.2008 से दिनांक–04.11.2014 तक), पंजाब नेशनल बैंक, खबरा, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–1357000105907727 (दिनांक–25.03.2010 से दिनांक–07.09.2014 तक), उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कन्हौली, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–5422/1001031010003105 (दिनांक–27.02.2010 से दिनांक–09.06.2014 तक) तथा भारतीय स्टेट बैंक, कल्याणी, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–30028100422 (दिनांक–02.04.2012 से दिनांक–30.11.2014 तक) का विस्तृत अवलोकन किया गया, जिसमें निम्न बाते प्रकाश में आयी है। दिनांक–02.04.2012 के पूर्व का भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कल्याणी का खाता विवरणी जांच की तिथि तक प्राप्त नहीं हो पाया, जिसके कारण इसका मिलान श्री मिश्रा के खाते से नहीं हो पाया।

क) बैंक ऑफ बड़ौदा, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–00050100008804 दिनांक–10.03.2008 से दिनांक–04.11.2014 तक) में क्रमशः

चेक सं0–185048 दिनांक–14.05.2013 राशि–525000.00
चेक सं0–185044 दिनांक–23.01.2013 राशि–1010000.00
चेक सं0–18504124दिनांक–26.11.2012 राशि–1025000.00
2560000.00

अतः उक्त राशि कुल मो0–2560000.00रू0 मात्र जो श्री उपेन्द्र मिश्र, निलंबित प्रधान सहायक–सह–खजांची–सह–लेखापाल, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर के नाम से निकासी की गयी है, किन्तु श्री मिश्र के द्वारा उपलब्ध कराई गई उपरोक्त दोनों खाताओं में से किसी भी खाता में राशि जमा/अंतरण प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि श्री मिश्र द्वारा उपरोक्त राशि का अंतरण/जमा किसी अन्य खाते में की गई है। अतः इस संबंध में श्री मिश्रा से अन्य खाताओं के संधारण के संबंध में पृच्छा की जा सकती है।

ख) पंजाब नेशनल बैंक, खबरा, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–1357000105907727 (दिनांक–25.03.2010 से दिनांक–07.09.2014 तक) के अवलोकन से स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है कि श्री मिश्र द्वारा उक्त खाते से भी राशि अंतरण/जमा किया गया है। क्योंकि उपलब्ध कराये गये खाता विवरणी में कई जगह सीधे चेक नं0/सीधे अंतरण दिखया गया है। अतः इस संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा बैंक समाशोधन विवरणी/अंकेक्षण करने के बाद ही राशि की गणना की जायेगी।

अतः समिति द्वारा सनदी लेखाकार से अंकेक्षण कराने की अनुशंसा की जाती है।

ग) उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, कन्हौली, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–5422/1001031010003105(दिनांक–27.02.2010 से दिनांक–09.06.2014 तक) के अवलोकन से स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है कि श्री मिश्र द्वारा उक्त खाते से भी राशि अंतरण/जमा किया गया है। क्योंकि उपलब्ध कराये गये खाता विवरणी में कई जगह सीधे चेक नं0/सीधे अंतरण दिखाया गया है। अतः इस संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा बैंक समाशोधन विवरणी/अंकेक्षण करने के बाद ही राशि की गणना की जायेगी।

अतः समिति द्वारा सनदी लेखाकार से अंकेक्षण कराने की अनुशंसा की जाती है।

घ) भारतीय स्टेट बैंक, कल्याणी, मुजफ्फरपुर के खाता संख्या–30028100422 (दिनांक–02.04.2012 से दिनांक–30.11.2014 तक) का अवलोकन किया गया, परन्तु दिनांक–02.04.2012 से दिनांक–30.11.2014 तक के खाता विवरणी में उक्त राशि का अंतरण नहीं पाया गया क्योंकि श्री मिश्र द्वारा राशि का दुरविनियोग/गवन की अवधि के खाते की विवरणी की आवश्यकता होगी, तत्पश्चात् ही राशि की गणना की जा सकती है।

अतः समिति द्वारा सनदी लेखाकार से अंकेक्षण कराने की अनुशंसा की जाती है।

साथ ही द्वादश वित्त योजना के रोकड़ पंजी की जांच की गयी। जांच के क्रम में यह मामला प्रकाश में आया कि जो चेक श्री उपेन्द्र मिश्र द्वारा स्वयं के नाम से निर्गत किये गये उनकी प्रविष्टी रोकड़ पंजी में नहीं की गयी है। उदाहरणस्वरूप दिनांक–28.11.2007 को चेक संख्या–615074 राशि मो0–176296.00रू0, जो अली नेउरा ग्राम पंचायत के नाम से, तथा चेक संख्या–615076 राशि मो0–176296.00रू0, जो बेलाही लच्छी ग्राम पंचायत के नाम से निर्गत है। उक्त दोनों चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में अंकित है। जबकि चेक संख्या–615075 राशि मो0–176296.00रू0, जो उपेन्द्र मिश्र ने अपने नाम से निर्गत किया है, लेकिन उक्त चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में दर्ज नहीं की गयी है। इसी प्रकार चेक संख्या–615124 राशि मो0–176296.00रू0, जो कल्याणपुर हरौना के नाम से निर्गत है तथा चेक संख्या–615126 राशि मो0–176296.00रू0, जो कमलपुर बिथरौल ग्राम पंचायत के नाम से निर्गत है। उक्त दोनों चेकों की प्रविष्टी रोकड़पंजी में अंकित है। जबकि चेक संख्या–615125 राशि मो0–176296.00रू0, जो श्री उपेन्द्र मिश्र ने अपने नाम से निर्गत किया है। लेकिन उक्त चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में दर्ज नहीं की गयी है। इसी प्रकार चेक संख्या–615103 राशि मो0–176296.00रू0, जो तुर्की पश्चिमी के नाम से निर्गत है तथा चेक संख्या–615105 राशि मो0–176296.00रू0, जो पंचायत समिति मोतीपुर के नाम से निर्गत किया गया है। उक्त दोनों चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में अंकित है। जबकि चेक संख्या–615104 राशि मो0–176296.00रू0, जिसे उपेन्द्र मिश्र ने अपने नाम से निर्गत किया है। लेकिन उक्त चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में दर्ज नहीं की गयी है। इसी प्रकार चेक संख्या–615307 राशि मो0–176296.00रू0, जो चक इब्राहीम ग्राम पंचायत के नाम से निर्गत है तथा चेक संख्या–615309 राशि मो0–176296.00रू0, जो बेरूआ ग्राम पंचायत के नाम से निर्गत किया गया है। उक्त दोनों चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में अंकित है जबकि चेक संख्या–615308 राशि मो0–176296.00रू0, जिसे उपेन्द्र मिश्र ने अपने नाम से निर्गत किया है। लेकिन उक्त चेक की प्रविष्टी रोकड़पंजी में दर्ज नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री उपेन्द्र मिश्र, निलंबित प्रधान सहायक–सह–खजांची–सह–लेखापाल, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर द्वारा निम्न प्रकार से राशि का गवन/दुरविनियोग किया गया है। उनके अन्य खातों की जांच तथा दिनांक–02.04.2012 के पूर्व के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कल्याणी, मुजफ्फरपुर का सरकारी खाते से मिलान तथा सनदी लेखाकार से उक्त योजनाओं के अंकेक्षण उपरान्त गवन/दुरविनियोग की राशि में बढ़ोतरी भी हो सकती है।

1. श्री मिश्र के बैंक ऑफ बड़ौदा, मुजफ्फरपुर में संधारित खाता सं0–00050100008931 एवं पंजाब नेशनल बैंक, जिला परिषद् भवन, मुजफ्फरपुर खाता सं0–6169000100013113 में पायी गई राशि कुल मो0–6702568.00, जो सरकारी खाते से अंतरण होकर आयी है।
2. सरकारी खाता संख्या–00050100008804 जो बैंक ऑफ बड़ौदा, मुजफ्फरपुर से राशि की निकासी की गई। राशि जिसका इन्द्राज श्री मिश्र के खाता में नहीं पाया गया जो संभवतः उनके अन्य खाते जिसकी

जानकारी समिति को नहीं हो पायी है। मो0–2560000.00

अतः समिति द्वारा श्री मिश्र के खाते में दर्ज राशि एवं द्वादश वित्त योजना के सरकारी खाते से कुल मो0–9262568.00(बानवे लाख बासठ हजार पांच सौ अड़सठ रू0) मात्र का गवन/दुरविनियोग किया गया है। ज्ञातव्य है कि श्री उपेन्द्र मिश्र निलंबित प्रधान सहायक–सह–खजांची–सह–लेखापाल, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर द्वारा समिति के समक्ष पूछताछ में स्वीकार किया गया है कि जिले के 385 (तीन सौ पचासी) ग्राम पंचायतों के चेक तैयार करने एवं तत्कालीन उप विकास आयुक्त से हस्ताक्षर कराने के क्रम में कुछ चेकों पर बिना पंचायत का नाम लिखे, केवल राशि लिखकर तत्कालीन पदाधिकारियों से हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाता था। तत्पश्चात् स्वयं का नाम चेकों पर अंकित कर अपने व्यक्तिगत खाते में जमा कर राशि जमा/अंतरण कर लिया जाता था।

इस प्रकार द्वादश वित्त योजना के सरकारी खाते तथा उपेन्द्र मिश्र के निजी खाते के जांचोपरांत स्पष्ट हो रहा है कि श्री मिश्र द्वारा कुल मो0–9262568.00(बानवे लाख बासठ हजार पांच सौ अड़सठ रू0) मात्र का गवन/दुरविनियोग सरकारी खाते से अपने खाते में राशि जमा/अंतरण कर किया गया है। अतः तत्काल राशि गवन/दुरविनियोग एवं सरकारी राशि की वसूली हेतु श्री मिश्र पर कठोर कार्रवाई अपेक्षित है।''

उक्त कृत कार्य के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक–327/सा0 दिनांक–26.11.2014 द्वारा श्री मिश्र को निलंबित किया गया एवं जिला परिषद् कार्यालय के पत्रांक–328/सा0 दिनांक–26.11.2014 द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कुल राशि मो0–9262568.00रू0 गबन का मामला प्रकाश में आने के कारण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) के (i), (ii), (iii) के प्रावधानों के तहत श्री मिश्र पर विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र 'क' में आरोप गठित की गयी जो निम्नवत् है :–

आरोप संख्या–01 – श्री उपेन्द्र मिश्र, निलंबित लेखापाल–सह–प्रभारी प्रधान सहायक–सह–खजांची, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर द्वारा 12वीं वित्त आयोग के सरकारी निधि को कपटपूर्ण ढंग से अपने निजी खाते में हस्तांतरित कर कुल–9262568.00रू0 का गबन किया गया।

आरोप संख्या–02 – श्री उपेन्द्र मिश्र द्वारा 12वीं वित्त आयोग योजना के चेक को लोक सेवक के पद का दुरूपयोग करते हुए स्वयं के नाम से कपट पूर्ण ढंग से निर्गत कराया गया तथा ऐसे चेक की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में नहीं की गई जो अमानत में खयानत तथा पद के दुरूपयोग की पुष्टि करता है। जहाँ प्रविष्टि की गई वहाँ संबंधित प्रविष्टि से छेड़छाड़ की गई जो सरकारी अभिलेख में छेड़छाड़ है।

आरोप संख्या–03 – आरोप संख्या–01 एवं 02 के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जानबूझकर सरकारी राशि के गबन के लिए श्री मिश्र दोषी हैं। इनका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1) के (i), (ii), (iii) के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक–351/सा0 दिनांक–17.12.2014 द्वारा श्री मिश्र पर गठित आरोप प्रपत्र ''क'' के विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला अभियंता, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर द्वारा अपने पत्रांक–06 दिनांक–13.03.2015 से श्री मिश्र पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' पर जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि साक्ष्यों एवं अभिलेखों के परीक्षणोपरांत श्री मिश्र पर गठित आरोप प्रपत्र 'क' में लगाये गये सभी आरोप निम्न प्रकार से पुष्ट हो रहें हैं :–

"**आरोप संख्या–01 उपस्थापन पदाधिकारी का अभिकथन/साक्ष्य** :– उपस्थापन पदाधिकारी ने बताया कि श्री उपेन्द्र मिश्र ने अपने निजी खाता सं0–1159010100029953, पी.एन.बी. एवं खाता सं0–00050100008931 बी0ओ0बी0 में विभिन्न तिथियों में कुल मो0–9262568.00(बानवे लाख बासठ हजार पांच सौ अड़सठ)रू0 सरकारी खाता से चेक के माध्यम से हस्तांतरित किया है। जिसका साक्ष्य भी समर्पित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि गबन का मामला प्रकाश में आने पर उप विकास आयुक्त द्वारा जांच समिति गठित की गई थी, जिसके जांच प्रतिवेदन में भी मो0–9262568.00(बानवे लाख बासठ हजार पांच सौ अड़सठ)रू0 गबन को पुष्ट किया गया है। साक्ष्य के रूप में जांच प्रतिवेदन समर्पित किया जा रहा है। इस प्रकार उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा आरोप को संपुष्ट किया गया है।

संचालन पदाधिकारी का समीक्षोपरांत मंतव्य :–उपस्थापन पदाधिकारी के अभिकथन एवं साक्ष्य के परीक्षण से आरोप संपुष्ट होता है।

आरोप संख्या–02 उपस्थापन पदाधिकारी का अभिकथन/साक्ष्य :–

उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 12वीं वित्त आयोग के पासबुक की प्रति से स्पष्ट होता है कि उपेन्द्र मिश्र ने इस योजना का चेक अपने नाम से कपटपूर्ण ढंग से निर्गत कराया है। साक्ष्य के रूप में पासबुक की छायाप्रति समर्पित की जा रही है। जिस चेक को आरोपित कर्मी द्वारा जालसाजी कर स्वयं के नाम से निर्गत किया गया, उसकी प्रविष्टि भी रोकड़पंजी में उनके द्वारा नहीं की गयी। साक्ष्य के रूप में रोकड़पंजी का पृष्ठ सं0–184,107,186 एवं 100 का छायाप्रति संलग्न है।

जांच दल के प्रतिवेदन से भी यह स्पष्ट है कि श्री उपेन्द्र मिश्र द्वारा कपट पूर्ण ढंग से सरकारी योजना का चेक स्वयं के नाम से निर्गत कर उसे रोकड़पंजी में प्रविष्टि नहीं किया गया है तथा सरकारी अभिलेख में छेड़छाड़ किया है। जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति समर्पित की गई है।

संचालन पदाधिकारी का समीक्षोपरांत मंतव्य :–उपस्थापन पदाधिकारी के अभिकथन एवं साक्ष्य के परीक्षण से आरोप संपुष्ट होता है।

आरोप संख्या–03 संचालन पदाधिकारी का अभिकथन/साक्ष्य :– श्री उपेन्द्र मिश्र पर 12वीं वित्त आयोग के सरकारी राशि कपट पूर्ण ढंग से निजी खाते में हस्तांतरित करने तथा उक्त राशि को स्वयं निकालकर गबन करने का आरोप समीक्षोपरांत पुष्ट होता है। उसके अतिरिक्त अपने पद का दुरूपयोग कर कपट पूर्ण ढंग से सरकारी चेक अपने नाम से निर्गत करने, रोकड़ पंजी में निर्गत चेक की प्रविष्टि जानबुझकर बदनियति से न करने का आरोप भी पुष्ट हो रहा है।

मंतव्य :–साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर प्रपत्र 'क' में लगाये गये आरोप पुष्ट हो रहे हैं। अतः उपेन्द्र मिश्र, निलंबित प्रधान सहायक–सह–खजांची –सह–लेखापाल, जिला परिषद्, मुजफ्फरपर वृहत दण्ड निर्धारित किया जा सकता है।"

संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय कारण पृच्छा तथा विवेचना :–

तदोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में श्री मिश्र को अंतिम मौका के तौर पर द्वितीय कारण पृच्छा कार्यालय ज्ञापांक–86/गो0 दिनांक–18.03.2015 द्वारा उनके आवासीय पता पर डाक के माध्यम से कारण पृच्छा या साक्ष्य के साथ पुनः अपना पक्ष एक सप्ताह अर्थात् दिनांक–27.03.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सदेह उपस्थित होकर रखने हेतु निदेशित किया गया एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी दिनांक–25.03.2015 के दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित कराया गया था।

निर्धारित तिथि–27.03.2015 को श्री मिश्र उपस्थित नहीं हुए और न ही अन्य किसी स्त्रोत से उपस्थिति या साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 165 में स्पष्ट किया गया है कि कपट और बेईमानी, लगातार जानबूझकर की जाने वाली उपेक्षा और नैतिक कलंक के सभी अपराधों का समुचित दंड बर्खास्तगी है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 के प्रावधानों के तहत 12वीं वित्त आयोग के सरकारी निधि को कपटपूर्ण ढंग से अपने निजी खाते में हस्तांतरित कराने एवं ऐसे चेक की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में नहीं करने के प्रमाणित आरोपों के कारण श्री मिश्र को सेवा से बर्खास्त करने के लिए बिहार गजट असंधारण 10 अप्रैल 2006 में प्रकाशित अधिनियम 162 के (2) उपधारा (1) में वर्णित नियमानुसार जिला परिषद् की बैठक से अनुमोदन किया जाना है। अतः माननीया अध्यक्षा, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर द्वारा संचिका संख्या–01–50/2014 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–03/टि. पर दिनांक–06.05.2015 को अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में मैं कँवल तनुज (भा0प्र0से0) उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर श्री उपेन्द्र मिश्र, निलंबित लेखापाल–सह– प्रभारी प्रधान सहायक–सह–खजांची, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त करता हूँ। इसकी संपुष्टि अगली जिला परिषद् की बैठक में करायी जाएगी।

श्री उपेन्द्र मिश्र, लेखापाल–सह–प्रभारी प्रधान सहायक–सह–खजांची से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1.	नाम	: श्री उपेन्द्र मिश्र
2.	पिता का नाम	: स्व0 राजनंदन मिश्र
3.	पदनाम	: सहायक लेखापाल
4.	जन्मतिथि	: 11.03.1957
5.	नियुक्ति की तिथि	: 30.09.1978
6.	वेतनमान	: 5200–20200
		: ग्रेड वेतन–4200
7.	स्थायी पता	: ग्राम+पो0–चहूटा, थाना–औराई, जिला–मुजफ्फरपुर

सभी संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

(कँवल तनुज, भा0प्र0से0)
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदा0
जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर।

(कँवल तनुज, भा0प्र0से0)
उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदा0
जिला परिषद्,मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक : 101/जि०प०/जि0प0, मुजफ्फरपुर दिनांक– 6/05/2015

प्रतिलिपि : श्री उपेन्द्र मिश्र, तत्कालीन प्रभारी प्रधान सहायक–सह–खजांची, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला अभियंता, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रधान सहायक/खजांची/स्थापना सहायक/विपत्र लिपिक, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रधान सहायक, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि माननीया अध्यक्षा, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर द्वारा श्री मिश्र की बर्खास्तगी प्रस्ताव का किये गये अनुमोदन की संपुष्टि अगली जिला परिषद् की बैठक में अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेंगे और इसकी प्रति अभिलेख में संधारित करेंगे।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग को गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., मुजफ्फरपुर को जिला के बेवसाइट पर प्रदर्शनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : राज्य के सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त (तिरहुत प्रमण्डल) मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : माननीया अध्यक्षा, जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

6/5

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, मुजफ्फरपुर।